

आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत डीलरशिप हेतु आवेदन-पत्र

(नियम 51 देखिये)

पार्ट-ए प्रार्थी की पहचान

1.	नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म का स्थान (मुख्य स्थान)	
4.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
5.	हाल का पता (ए) पास का थाना	
6.	स्थाई पता (ए) पास का थाना	
7.	यदि कार्यालय के कर्मचारी हैं तो पेशा मय पते के	

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

8. नोट:- 1 पास के थाने का अर्थ है कि जिस थाने के अन्तर्गत दिया गया पता आता है।
2. आवेदक फर्म की स्थिति में फर्म का नाम व भागीदारों का पूर्ण विवरण अंकित करें।
9. क्या प्रार्थी को
(ए) किसी अपराधिक प्रकरण में सजा हुई है हां/नहीं
यदि हां तो जुर्म संख्या तथा सजा का दिनांक
- (बी) क्या प्रार्थी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अन्तर्गत शांति बनाये रखने नेक चलनी हेतु बंद पत्र में पाबंद किया गया है हां/नहीं
- (सी) शस्त्र अधिनियम 1969 अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत क्या प्रार्थी को शस्त्र/शस्त्रादि रखने के लिए निषिद्ध किया गया है। हां/नहीं
10. (अ) क्या प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन किया है हां/नहीं
यदि हां तो किसे आवेदन किया गया है तथा आवेदन पत्र का निर्णय क्या रहा
- (ब) क्या प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र कभी निलम्बित या निरस्त हुआ हां/नहीं
यदि हां तो कब और किस कारण से विवरण
- (स) क्या प्रार्थी के किसी कुटुम्बी के पास हथियार का लाईसेन्स है हां/नहीं
यदि हां तो उसका ब्यौरा.....
11. (अ) क्या आवेदक अनुज्ञाधारी है या अनुज्ञा पत्र से मुक्त है। हां/नहीं
(ब) हथियार रखने का सुरक्षित स्थान है। हां/नहीं
(स) क्या आवेदक बोनाफाईड यात्री है हां/नहीं
(1) संबंधित देश का नाम

(2) क्या उसे अपने देश के हथियार कानून द्वारा हथियार रखने से मना किया गया

हां/नहीं

(3) भारत में आने की तिथि

नोट:- बोनाफाईड यात्री को उचित मात्रा में धारा 10 एवं नियम 32 के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स के प्रयोजनार्थ शस्त्र एवं कारतूस लाने की स्वीकृति अन्य कारणों से नहीं।

पार्ट- "सी" लाइसेंस का ब्यौरा

12. लाइसेंस की आवश्यकता :.....
13. फार्म जिसमें अनुज्ञापत्र चाहिये:-
14. हथियार या कारतूस का ब्यौरा:-
 - (अ) किस क्षेत्र में हथियार ले जाना चाहता है
 - (ब) जगह जहां हथियार/कारतूस रखे जावेंगे व बनेंगे आदि
 - (स) आयात/निर्यात का स्थान व मार्ग
15. अन्य ब्यौरा जैसा लाइसेंस फार्म में आवश्यकता हो :-.....
16. विशेष विचार हेतु:-

नोट:- कालम 12 में प्रार्थी को खुलासा लिखना चाहिए कि लाइसेंस किसलिये चाहिए। प्रयोग, कब्जा, ले जाने, निर्माण करने, बिक्री, स्थानान्तरण, मरम्मत समपरिवर्तन प्रुफटेस्ट, आयात, पुनः आयात निर्यात पुनः निर्या, आत्मरक्षा, खेल, प्रदर्शन, मानव शरीर, कृषि पशुओं को जंगली जानवरों से सुरक्षा आदि।

पार्ट-"डी" यदि प्रार्थी आयात/निर्यात/परिवहन/पुनःआयात/पुनःनिर्यात हेतु अनुज्ञापत्र चाहता है तो

17. (अ) क्या नियम 50 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है.....
- (ब) उसकी समर्थन में प्रमाण:-.....

घोषणा:- मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है। यदि किसी समय कोई बात असत्य पायी जावे तो मेरे विपरीत शस्त्र अधिनियम 1959 व नियम 1962 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

प्रार्थी का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(नोट:- जो पूर्ति लागू न हो उसे काट दें)

चेतावनी:-

1. किसी बात को छिपाना या गलत बयान करना नियम 51-ए के विपरीत है और प्रार्थी धारा 30 अस्त्र कानून 1959 के अनुसार दण्ड का भागी होगा।
2. प्रार्थना पत्र (5 प्रतियों में) के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट मानचित्र तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति में प्रस्तुत की जानी है।

कार्यालय कार्यवाही

श्री..... से प्राप्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर ..
...../पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (इंटेलीजेंसी), राजस्थान, जयपुर/उपजिला मजिस्ट्रेट...../मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयपुर/नगरपालिका/सरपंच.....
..... को वास्ते व जांच व टिप्पणी हेतु प्रेषित है।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

